

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में कृषि विभाग के जिला स्तरीय उप संचालक कृषि कार्यालय के सेट-अप हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1	उप संचालक कृषि	लेवल-13	01
2	सहायक संचालक कृषि	लेवल-12	01
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	लेवल-9	01
4	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	लेवल-9	02
5	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	लेवल-7	02
6	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	01
7	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	03
8	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल-4	01
9	वाहन चालक	लेवल-4	01
10	भृत्य	लेवल-1	02
11	पार्ट टाइम सफाई कर्मी	कलेक्टर दर	01
योग-			16

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम ₹100 की प्रतिपूर्ति हेतु एवं ₹30000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,00,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

गोधन न्याय योजना हेतु ₹10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹15025.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,50,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (उद्यानिकी) हेतु ₹1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में उद्यानिकी विभाग के जिला स्तरीय सहायक संचालक उद्यानिकी कार्यालय के सेट-अप हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1	सहायक संचालक उद्यान	लेवल-12	01
2	उद्यान विकास अधिकारी	लेवल-7	01
3	सहायक ग्रेड-1	लेवल-7	01
4	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	लेवल-6	01
5	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	01
6	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	02

7	भृत्य/चौकीदार	लेवल-1	02
	योग-		09

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

गोधन न्याय योजना हेतु ₹5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 से 9

एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु ₹188.67 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,88,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।